



आरबीआई द्वारा  
विनियमित संस्थाओं  
(आरई)\* के विरुद्ध  
अपनी शिकायतों के  
निवारण के लिए  
इन चरणों का  
पालन करें



1

सबसे पहले  
आरई के पास अपनी  
शिकायत दर्ज कराएं

2

पावती/संदर्भ  
संख्या प्राप्त करें

3

यदि आरई द्वारा 30 दिनों में इसका  
कोई निवारण नहीं किया जाता है या  
आप निवारण से संतुष्ट नहीं हैं,  
तो आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल  
([cms.rbi.org.in](https://cms.rbi.org.in)) पर या सीआरपीसी\*\* को  
डाक द्वारा भेजकर आरबीआई लोकपाल के  
पास अपनी शिकायत दर्ज  
करवा सकते हैं



आरबीआई लोकपाल से सीधे शिकायत दर्ज करने पर  
वह अस्वीकृत हो सकती है.



अधिक जानकारी के लिए,  
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/ios> पर विजिट करें  
फ़ीडबैक देने के लिए,  
[rbikehtahai@rbi.org.in](mailto:rbikehtahai@rbi.org.in) को लिखें



जनहित में जारी  
**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

\* बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान प्रणाली सहभागी, प्री-पेड इन्स्ट्रुमेंट, क्रेडिट लूना कंपनियां

\*\* सीआरपीसी: भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017.